दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

भूमि प्रबंधन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत धारा 24(2) मामलों का पुनः अधिग्रहण

जनता को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित मामलों की विभिन्न पीठों में निर्णय दिये हैं, विशेष रूप से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की प्रयोज्यता के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम तेजपाल और अन्य, सचिव, भूमि और भवन विभाग और अन्य के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार बनाम मेसर्स केएल राठी स्टील्स लिमिटेड और अन्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और अन्य बनाम मेसर्स बीएसके रियल्टर्स एलएलपी और अन्य के संबंध में **17.05.2024** को निर्णय लिया गया और **17.05.2024** के बाद अन्य मामलों पर निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त निर्णयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनुदेशों/ लिबर्टी के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने भूमि के पुनः अधिग्रहण के विभिन्न मामलों की जांच/सिफारिश की है।

तदनुसार, कुल 123 मामलों को पुन: अधिग्रहण के लिए अंतिम रूप से अनुशंसित किया गया है और 25 मामलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक अधिग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

इन मामलों का विवरण, जिसमें मामले का विवरण और प्रासंगिक जानकारी शामिल है, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक **https://dda.gov.in/land-management/ Policies-Circulars-Guideline** पर जनता के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ये जानकारी कानूनी इस्तेमाल के लिए नहीं हैं और इनका इस्तेमाल किसी भी कानूनी कार्रवाई या दावे के लिए नहीं किया जा सकता है।

हस्ता./-

आयुक्त (भूमि निपटान)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

भूमि प्रबंधन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत धारा 24(2) मामलों का पुनः अधिग्रहण

जनता को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित मामलों की विभिन्न पीठों में निर्णय दिये हैं, विशेष रूप से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की प्रयोज्यता के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम तेजपाल और अन्य, सचिव, भूमि और भवन विभाग और अन्य के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार बनाम मेसर्स केएल राठी स्टील्स लिमिटेड और अन्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और अन्य बनाम मेसर्स बीएसके रियल्टर्स एलएलपी और अन्य के संबंध में **17.05.2024** को निर्णय लिया गया और **17.05.2024** के बाद अन्य मामलों पर निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त निर्णयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनुदेशों/ लिबर्टी के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने भूमि के पुनः अधिग्रहण के विभिन्न मामलों की जांच/सिफारिश की है।

तदनुसार, कुल 123 मामलों को पुन: अधिग्रहण के लिए अंतिम रूप से अनुशंसित किया गया है और 25 मामलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक अधिग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

इन मामलों का विवरण, जिसमें मामले का विवरण और प्रासंगिक जानकारी शामिल है, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक **https://dda.gov.in/land-management/ Policies-Circulars-Guideline** पर जनता के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ये जानकारी कानूनी इस्तेमाल के लिए नहीं हैं और इनका इस्तेमाल किसी भी कानूनी कार्रवाई या दावे के लिए नहीं किया जा सकता है।

हस्ता./-
आयुक्त (भूमि निपटान)